



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072021-228259
CG-DL-E-13072021-228259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2597]
No. 2597]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

का.आ. 2802(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कार्यालय अनुमंडल दंडाधिकारी एवं प्रान्त अधिकारी, मेहसाणा, द्वितीय तल तालुका सेवा सदन (NH-68) के कि.मी 532.075 से 533.225 गुजरात राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

एलसी नंबर 2ए किमी पर 4 लेन आरओबी के एप्रोच 532/700 पर हिस्से का निर्माण। गुजरात राज्य में NH-68
(राधनपुर-कमलपुर-खाखल-रोडा-दुनावाडा-पाटन-चंसमा-मेहसाणा-प्रांतिज रोड)।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रान्त अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-68 के कि.मी. 532.075 से 533.225 तक	गुजरात	मेहसाणा	मेहसाणा	1 हेदुवा हनुमत

[फा. सं. GJ/P/V-II/06/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2021

S.O. 2802(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 532.075 to 533.225 of Office of sub divisional magistrate and prant officer , mehsana 2 nd floor taluka seva sadan (NH-68) in the State of GUJARAT.

SCHEDULE

Construction of Approach portion of 4 Lane ROB at LC No. 2A Km. 532/700 on NH-68 (Radhanpur-Kamalpur-Khakhhal-Roda-Dunawada-Patan-Chansma-Mehsana-Prantij Road) in the State of Gujarat.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Prant Officer	532.075KM To 533.225KM	GUJARAT	MAHESANA	Mahesana	1 Heduva Hanumat

[F. No. GJ/P/V-II/06/2021]

RAJESH GUPTA, Director